1. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) द्वारा प्रापण केंद्रों की स्थापना के लिए अवसंरचना समर्थन

इस योजना का उद्देश्य एफपीओ को प्रोत्साहित करना और सशक्त बनाना तथा उन्हें नारियल के एकत्रीकरण और विपणन के लिए प्रापण केंद्र आरंभ करने में सहायता प्रदान करना है, जिससे किसान अंततः मूल्य लेने वाले से मूल्य निर्धारित करने वाले बन सकें।

क. एफपीओ द्वारा प्रापण केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्रता:

1. एफपीओ कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
2. एफपीओ को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
3. एफपीओ को समूह गतिविधियां संचालित करनी चाहिए।
4. प्रस्तावित प्रापण केंद्र का उद्देश्य नारियल/डाब/खोपरा/नारियल छिलका आदि के प्रापण और आपूर्ति करना जैसे सामूहिक गतिविधियाँ चलाना होगा।

ख. सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया:

1. प्रापण केन्द्रों के प्रारंभ हेतु प्रस्ताव प्रापण शुरू होने की निर्धारित तारीख से 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. एफपीओ को दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न करनी चाहिए जैसे कि नाविबो के साथ पंजीकरण, चलाई गई समूहिक गतिविधियों का ब्यौरा मात्रा और मूल्य आदि सहित तथा **'घ'** में सूचीबद्ध अन्य दस्तावेज।
3. प्रापण के लिए आवश्यक अवसंरचना की स्थापना हेतु सहायता केवल प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।

ग. योजना के तहत प्रस्तावित वित्तीय सहायता:

नाविबो उत्पाद के प्रापण करने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता प्रदान करेगा।

समर्थित अवसंरचना*	प्रस्तावित सहायता
1. उत्पादके अपक्का भंडारण के लिए आधा पक्का/पक्का शेड/गोदाम स्थान का निर्माण (भूमि का पट्टा करार संलग्न करें) i. शेड/ गोदाम का प्लिंथ क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ii. प्लिंथ स्तर से ट्रस के नीचे तक शेड/गोदाम की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 2. प्लेटफ़ार्म तुलाएं	सहायिकी के रूप में उठाए गए व्यय का 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3.00 लाख रुपए तक

3. न्यूनतम कार्यालय फर्नीचर में एक कार्यालय मेज और दो कुर्सियाँ शामिल हैं। 4. खाता बहियाँ- रोकड़ बही, क्रय और विक्रय रजिस्टर, किसान खाता बही और व्यापारी खाता बही 5. छिलका निकालने वाली मशीनें 6. लोहे की जाली वाली टोकरियाँ 7. नारियल ले जाने के लिए ट्रॉलियाँ 8. नारियल की तुड़ाई उपरांत अन्य हैंडलिंग उपकरण	

- **प्रापण केन्द्र के लिए क्रम संख्या 1,2,3 एवं 4 अत्यावश्यक हैं; अन्य आवश्यकता के आधार पर किया जाए।**

यदि भूमि एफपीओ के स्वामित्व में है तो भूमि के स्वामित्व विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में एफपीओ और भूमि के मालिक के बीच पट्टा करार की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए। पट्टा करार में निम्नलिखित वाक्यांश शामिल होना चाहिए: *"एफपीओ को नारियल/खोपड़ी/छिलका/नारियल के किसी अन्य उपोत्पाद के प्रापण और विपणन के लिए पट्टे पर दिए गए परिसर में आधा पक्का/पक्का शेड/गोदाम स्थान का निर्माण करने की अनुमति है।"* **भूमि की पट्टा अवधि न्यूनतम पांच वर्ष की होनी चाहिए।**

घ. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- नाविबो के साथ एफपीओ का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- समूह गतिविधियों का ब्यौरा, मात्रा और मूल्य आदि सहित
- भूमि दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि भूमि पट्टे पर है तो पट्टा दस्तावेज जिसकी पट्टा अवधि 5 वर्ष से कम न हो। पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में संरचना के निर्माण के लिए पट्टादाता की सहमति प्रस्तुत की जानी चाहिए)।
- प्रस्तावित संरचना की योजना एवं प्राक्कलन
- प्रस्तावित भवन के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुमति।
- खरीदे जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों/फर्नीचर का कोटेशन
- प्रस्तावित प्रापण केंद्र का स्थान मानचित्र।

ङ. दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

प्रापण केन्द्र की स्थापना और प्रापण प्रारंभ होने के पश्चात व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रापण शुरू होने की तारीख सूचित करते हुए 120 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

च. सहायिकी का दावा करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

1. चार्टर्ड सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित भवन संपूर्ति

2. प्रापण केंद्र में खरीदे और स्थापित किए गए उपकरणों/फर्नीचर के लिए जीएसटी बिल।
3. लाभार्थी से शपथपत्र जिसमें वह केन्द्र पर नारियल/डाब/खोपरा/नारियल छिलके की प्रापण की गतिविधियां जारी रखने के लिए सहमत हो; तथा उस केन्द्र को निष्क्रिय नहीं रखा जाएगा/किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। (प्रारूप संलग्न)।

छ. सहायिकी जारी करने हेतु अतिरिक्त दस्तावेज

1. प्रापण गतिविधियों के प्रारंभ की तारीख से 3 महीने के लिए मासिक मात्रा और बिक्री वापसी, संव्यवहार के ब्यौरे सहित - मात्रा और बिक्री आय दोनों के संदर्भ में। (प्रारूप संलग्न)।
2. उपर्युक्त निर्दिष्ट 3 महीने की अवधि के लिए लेखापरीक्षित विवरणी
3. संव्यवहार के फोटोग्रैफ